कार्यालय मुख्य अभियन्ता,(फै0क्षे0), लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांकः– 2082 फै0क्षे0/74 याता0(सु0अ0वृत्त)/15 दिनांक :– 18.2.16

848 आर०

दिनांक..........

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर–अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर ग्राम–आयुबपुर, तहसील–जयसिंहपुर, जनपद–सुल्तानपुर की भूमि संख्या–278 एवं 280, में मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लि0, लखनऊ–आजमगढ़–बलिया मार्ग (राज्य मार्ग सं0–34) के किमी0 157 के चैनेज 156.665 से चैनेज 156.700 पर मध्य रेखा से बांई तरफ ग्राम–आयुबपुर, तहसील–जयसिंहपुर, जनपद–सुल्तानपुर की भूमि संख्या–278 एवं 280 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना लेपित मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 के बाहर कराया जाय।
2. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी0 नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
3. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढ़का जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
4. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0–3 हयूम पाईप/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) सर्विस एरिया का ढ़ाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।
7. लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
8. बफर स्ट्रिप कम से कम 12 मीटर लम्बी व 3 मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम 09 मीटर चौड़े होंगें।
9. बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी 07 मीटर से कम नहीं होगी।
10. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
11. भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का काई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, लि0 के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13. एम0ओ0एस0टी0 द्वारा जारी पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99–डी0ओ0–।।। दिनांक 24.07.13 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तो एवं आईआर0सी0 कोड–12, 1983 में दी गई शर्ते लागू होंगी।
14. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
15. भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0–आर0डब्लू0/एन0एच0/33023/19/99 –डी0ओ0–।।। दिनांक 24.07.13 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि एच0डी0एफ0सी0 बैंक, शाख सुल्तानपुर का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या–000514 दिनांक 08.02.2016 रू0 02,20,000.00 (रूपया दो लाख बीस हजार मात्र) जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय, खण्ड, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर के नाम से जमा है।

ADM(F/R)/LBC

जिलाधिकारी सुल्तानपुर 22-2-16

80 – लि0 LBC

जिलाधिकारी (वि0/रा0) सुल्तानपुर 23/2

16. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर जमा धनराशि रूपया रू0 02,20,000.00 सुसंगत लेखे में जमा कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अनुमति अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर–अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर का पत्रांक 381/5 काम–सु0अ0वृत्त/2015–16 दिनांक 16.02.2016 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

ह0/
(ए0के0 अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

पत्रांकः– 2082 फै0क्षे0/74 याता0(सु0अ0वृ0)/15 दिनांक :– 18.2.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
   संलग्नकः–ड्राइंग की एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सुल्तानपुर–अमेठी वृत्त, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर का पत्रांक 381/5 काम–सु0अ0वृत्त/2015–16 दिनांक 16.02.2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर को उनके पत्रांक 470/53 काम दिनांक 09.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/02/16
मुख्य अभियन्ता, (फै0क्षे0),
लो0नि0वि0, फैजाबाद।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है

1- इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-34) के कि०मी० 157 के चैनेज 156.665 से 156.700 के पर मध्य रेखा से बांयी तरफ ग्राम आजुबपुर, तहसील जयसिंहपुर जनपद-सुलतानपुर की भूमि संख्या-278 एवं 280 पर रिटेल आउटलेट की स्थापना सम्बन्धित मार्ग के मध्य [illegible] 22.86 मीटर के बाहर कराया जाये।

2- रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 से०मी० नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।

3- रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।

4- सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-3 ह्यूम पाईप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराना होगा।

5- ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक) सर्विस रोड का ढाल कम से कम 2 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।

6- पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प पर साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।

7- लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

8- बफर स्ट्रिप कम से कम 12 मीटर लम्बी व 3 मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम 09 मीटर चौड़े होंगे।

9- बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी 07 मीटर से कम नहीं होगी।

10- निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

11- भू स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस संबंध में लो०नि०वि० का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12- इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13- एम०ओ०एस०टी० द्वारा जारी पत्रांक आर० डब्लू०/एन०एच०/33023/19/99-डी०ओ०-III दिनांक 24.07.13 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आई०आर०सी० कोड-12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी।

14- जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

15- भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र संख्या-आर० डब्लू०/एन०एच०/33023/19/99-डी०ओ०-III दिनांक 24.07.13 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि एच०डी०एफ०सी० बैंक की सुलतानपुर शाखा का डिमांड ड्राफ्ट संख्या-000514 दिनांक 04.02.2016 रु० 2,20,000=00 (रु० दो लाख बीस हजार मात्र), जो अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० सुलतानपुर के नाम जमा है।

16- उपरोक्त सभी अथवा एक भी निर्देश एवं एम०ओ०एस०टी० के डायरेक्शन का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विभाग किसी भी प्रकार की हानि मार्ग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा विभाग के विरुद्ध कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता है।

(इकबाल अहमद)
अमीन

(ओमप्रकाश [illegible]) 6-2-16
अवर अभियन्ता

(मिथिलेश कुमार)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
सुलतानपुर

(संजय भारती)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०
सुलतानपुर

[illegible]
सुलतानपुर/अमेठी [illegible]